राजस्व पर्षद, बिहार।

सं. सं.- 2/परी०-1 (राज०)- 28/2015- 1541 (अनु०)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह,
उप सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः- 11-12-2015

विषयः- बिहार बाल विकास सेवा नियमावली, 2015 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजन के संबंध में।

प्रसंगः- समाज कल्याण विभाग का पत्रांक- 3965, दिनांक- 15.09.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार बाल विकास सेवा नियमावली, 2015 में वर्णित प्रावधान के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की संपुष्टि/स्वीकृति की कार्रवाई तत्कालीन नियुक्ति विभाग (सम्प्रति-सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राजस्व पर्षद द्वारा की जायेगी। छायाप्रति संलग्न।

2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा के संबंध में निम्नांकित बिन्दू विचारणीय हैं, जिस पर समाज कल्याण विभाग का प्रस्ताव आवश्यक है :-

(i) राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा में हिन्दी विषय की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें लिखित परीक्षा का पूर्णांक- 200 एवं उत्तीर्णाक- 120 निर्धारित है तथा मौखिक परीक्षा में पूर्णांक- 100 एवं उत्तीर्णाक- 60 निर्धारित है। अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिये उत्तीर्णाक में 10% की छूट है। इसी के अनुरुप विभागीय प्रस्ताव अपेक्षित है।

(ii) लेखा विषय के पुस्तक (रहित) एवं पुस्तक (सहित) का पूर्णांक/ उत्तीर्णाक निर्धारित नहीं है, और न उक्त विषयों का पाठ्यक्रम संलग्न है। राजस्व पर्षद द्वारा विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के लिए लेखा पुस्तक (सहित) एवं लेखा पुस्तक (रहित) की परीक्षा का आयोजन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पूर्णांक/ उत्तीर्णाक एवं पाठ्यक्रम के अनुसार कराया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले में वांछित सूचनाएँ स्पष्ट प्रस्ताव सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा के आयोजन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०- यथोक्त)

विश्वासभाजन

उप सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

D:\KRISHNA K R\D_S\File no_2_P_1_R_28_2015.docx